न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 276/2024

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र कुनणराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. मीरा पत्नी कुनणराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. जयलाल पुत्र कुनणराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः–10/12/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता स0 84/84 की कुल 7.7000 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता स0 25/25 की कुल 1.7700 हैक्ट भूमि सायल के पिता कुनणराम के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 182/189 की कुल 3.7560 हैक्ट भूमि में से 3117/12520 हैक्ट भूमि कुनणमल व 9403/12520 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 32/36 की कुल 6.8290 हैक्ट भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 प्रत्येक के नाम 1/4 व अप्रार्थी स0 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में सायल के दादा भोजाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी के पिता कुनणराम व उसकी माता व भाईयों के नाम दर्ज हुई है। सायल का पिता कुनणराम का देहान्त हो चुका है एवं सायल के भाई कृष्णलाल का भी लावल्द कुंवारा देहान्त हो चुका है। मृतक कुनणराम के नाम दर्ज भूमि में सायल अकेला 1/9 हिस्सा, गैरसायल स0 1 अकेला 1/9 हिस्सा, गैरसायल स0 3 अकेला 1/9 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। गैरसयल स0 1 ता 2 के नाम वाद भूमि दर्ज होने से वाद भूमि को अन्यत्र रहन/बैय करने पर आमदा है व मृतक कुनणराम व कृष्णलाल की भूमि भी सायल व गैरसायल स0 1 व 2 अपने अकेले के नाम दर्ज करवा पाने पर आमाद है यदि गैरसायल स0 1 व 2 अपने मकसद में कामयबा हो जाते है तो प्रार्थी का अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त भूमि को रहन, बैय व मन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजि[illegible] गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि गैरसायलान [illegible] प्राप्त हुई है तथा वि[illegible] प्राप्त भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कोई भी खातेदार अपनी भूमि का उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। सायल द्वारा उक्त स्थगन लेने के कारण वाद भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज नही हो रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके पिता व सायल के पिता के बाद वाद भूमि सायल व गैरसायल के नाम दर्ज हुई है अर्थात ललानाबस जैतासर व ललानाबास श्योपुरा की वाद भूमि विरासतन दर्ज होनी है। अप्रार्थीगण का कथन है कि सायल विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है उक्त स्थगन के कारण विरासतन नामान्तरण नही हो रहा है एवं हमने अपने हक व हिस्सा से वंचित है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 29.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:12 IST
Reason: SelfAttested